श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः—पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

2022/62

प्रार्थी मस्तान सिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 दौलतपुरा, 3 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी.चप्रूफ,एवं दो **गवाह** का शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान महेश कुमार पुत्र सन्तलाल एवं नन्दलाल शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद की पहचान अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

25/3/12

जिला पंजीयक महोदय

20/3